Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में आबकारी निरीक्षक 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *05 फरवरी शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा शहर इकाई द्वारा दिनांक 04.02.2022 की रात्री को बूंदी में कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार शर्मा आबकारी निरीक्षक वृत बूंदी को 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैं मेरे साझेदार की शराब की, वैध लाईसेंस दुकान को संभालता हूँ, मुझे व सेल्समेन को झूंठे केस में न फंसाने के बदले विनोद शर्मा आबकारी निरीक्षक वृत बूंदी द्वारा प्रतिमाह 6 हजार रूपये की मंथली (मासिक बंधी), एक केस व 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा शहर इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक ठाकुर चन्द्रशील** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर दिनांक 04.02.2022 की रात्री को **पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान** व टीम द्वारा बूंदी में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी विनोद कुमार शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, हाल निवासी म.नं. 24ए तिरूपति विहार, माचड़ा, सीकर रोड जयपुर, हाल आबकारी निरीक्षक वृत बूंदी को परिवादी से 20 हजार रिश्वत राशि लेने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आबकारी निरीक्षक का प्राईवेट ड्राईवर आरोपी फराजुद्दीन, निवासी घसीयारा मौहल्ला बाईपास रोड़ बूंदी, रात्रि का समय होने से अंधेरे का फायदा उठाकर मय रिश्वत राशि के फरार हो गया है जिसकी तलाश व रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में फरार आरोपी की तलाश के साथ साथ आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।